

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2034] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 193

स. 2034]	4 नई दिल्ला, बृहस्पातवार, सितम्बर ३०, २०१०/आश्वन ८, १९३२				
No. 2034]	NEW DELHI, THUR	SDAY, SEPTEMBER	R 30, 2010/ASY	/INA 8, 1932	-
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	(1)	(2)	(3)	
	(वाणिज्य विभाग)	2.	बोरी	173/1	1
	अधिसूचना	3.		174	0
	नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010			175/11	1

का.आ. 2394(अ).—यत: मै. अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने भहाराष्ट्र राज्य में प्राम बोरी, तालुका नागपुर, जिला नागपुर में मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 10 मार्च, 2010 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसुचित करती है, अर्थात:-

तालिका			
क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बोरी	173/2	1.180

(1)	(2)	2	(3)	(4)
2.	बोरी		173/1	1.144
3.			174	0.860
4.			175/1ए	1.110
5.			175/2	0.810
6.			178	1.060
7.			179	1.960
8.			180	1.070
9.			181/1	1.660
10.			181/2	0.810
11.			181/3	0.810
12.			182	3.020
13.			183	2.080
14.			187	0.800
15.			188/1ए	3.140
16.			232	3.334
17.			233/1	2.030
18.			233/2	1.010
19.			234/1	1.350
20.		*	234/2ए	1.210
21.			236/1	1.180
22.			236/2	1.170
23.			244/1	1.520
24.			244/2	1.520
25.			244/3	1.520
26.			244/4	1.520

	- K	कुल	43,258
29.		245/2	1.600
28.		245/1	2.160
27.	बोरी	244/5	1.520
(1)	(2)	(3)	(4)

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- 1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक
- 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- रिदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए —सदस्य, पदेन जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयक्त सचिव से कम नहीं होगा
- 8. मै. अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड विशेष (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि आमंत्रिती

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/36/2009-एसईजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2010

S.O. 2394(E).—Whereas M/s. Arshiya International Limited, a private organization in the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Free Trade and Warehousing Zone at Village Bori, Taluka Nagpur, District Nagpur in the State of Maharashtra;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 10th March, 2010;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:—

TABLE

	1.6	IADLE	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bori	173/2	1.180
2.		173/1	1.144
3.		174	0.860
4.		175/1A	1.110
5.		175/2	0.810
6.		178	1.060
7.		179	1.060
8.		180	1.070
9.		181/1	1.660
10.		181/2	0.810
11.		181/3	0.810
12.		182	3.020
13.		183	2.080
14.		187	0.800
15		188/1A	3.140
16.		232	3.334
17.		233/1	2.030
18.		233/2	1.010
19.		234/1	1.350
20.		234/2A	1.210
21.		236/1	1.180
22.		236/2	1.170
23.		244/1	1.520

		1 Otal	43.238 hectares
	Annual of the second se	Total	43.258
29.		245/2	1.600
28.		245/1	2.160
27.		244/5	1.520
26.		244/4	1.520
25.		244/3	1.520
24.	Bori	244/2	1.520
(1)	(2)	(3)	(4)

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- 1. Development Commissioner of the Special Economic Zone
- -Chairperson ex-officio
- 2. Director or Deputy Secretary
 to the Government of India,
 Ministry of Commerce and
 Industry, Department of
 Commerce or his nominee not
 below the rank of Under Secretary
 to the Government of India
 - —Member, ex-officio
- 3. Zonal Joint Director General of
 Foreign Trade having ex-officio
 territorial jurisdiction over
 the Special Economic Zone

- 4. Commissioner of Customs or
 Central Excise having territorial
 jurisdiction over the Special
 Economic Zone or his nominee
 not below the rank of Joint
 Commissioner

 —Member,
 ex-officio
- 5. Commissioner of Income Tax
 having territorial jurisdiction
 over the Special Economic Zone
 or his nominee not below the rank
 of Joint Commissioner
- 6. Director (Banking) in the Ministry —Member, of Finance, Banking Division, ex-officio Government of India
- 7. Two Officers, not below the rank —Members, of Joint Secretary, to be nominated ex-officio by the Government of Maharashtra
- 8. Representative of M/s. Arshiya —Special International Limited Invitee (Developer of the Zone)

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 30th day of September, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/36/2009-SEZ] ANIL MUKIM, Jt. Secy.